न नंबर
अधिवक्ता

यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

~~[illegible]~~ 2/06/2022 .... तारीख रजू........................

विजयसिंह बनाम कमलसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/5/22	वकील प्रार्थी उपस्थित। आज यह प्रा० पत्र 212 RTA प्रार्थी के वकील ने मूल वाद के साथ पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। प्रा० पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। अप्रार्थी सं० 1 की ओर श्री रामजीलाल शर्मा एड० ने कैविएट प्रार्थना पत्र पेश किया। ~~[illegible]~~ अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17/5/22 को पेश हो। SDO उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	नकल जारी हुई
17/5/22	वकलाय उप०। वकील प्रार्थी व कैविएटकर्ता वकील अप्रार्थी ~~के~~ उप०। बहस वकलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबन्द किया जाता है कि आराजी ~~खसरा~~ नं० 1452 वाके ग्राम मनोहरपुर तह० कठूमर के विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखें। शेष अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते शेष की तलबी दिनांक 23/5/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23/5/22	वकलाय .... उपस्थित सार्वजनिक अवकाश दिनांक .... के पालना में पत्रा ... शेष तलबी ... दिनांक 6/7/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/6/22 अप्रार्थी नं 2 की ओर से PT डी	वकुलाफ उपस्थित प्रतिरक्षिगण 1 की ओर से वकालतनामा व 2 की ओर से PT श्री ... चौधरी एडवोकेट पेश की। जवाब व वकालतनामा को समय चाहा, अतः पत्रावली वास्ते जवाब व वकालतनामा दिनांक 14/6/22 को पेश हो। Sd/-
14/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश में पत्रावली दिनांक 17/6/22 को पेश हो। Sd/-
17/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब अवकाश में पत्रावली दिनांक 20/6/22 को पेश हो। Sd/-
20/6/22	वकुलाफ उपस्थित अप्रार्थी संख्या - 2 की ओर से श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट वकालतनामा पेश किया। जवाब को समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस TI दिनांक 27/06/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
27/6/22	वकुलाफ उपस्थित। P.O. साहब अवकाश में पत्रावली दिनांक 30/6/22 को पेश हो। Sd/-
30/6/22	वकुलाफ प्रार्थी व अप्रार्थी वकील ने मौका कमिश्नर हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर पर बहस वकुलाफ सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 1/7/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
1/7/22	वकुलाफ उपस्थित अप्रार्थी का मौका कमिश्नर हेतु प्रार्थना पत्र साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष वकुलाफ की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली के तथ्यों सामग्री साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी हाल व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व

विजय सिंह बनाम कमल सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया के सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में साबित है अतः वादी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पारित किया गया। प्रार्थना-पत्र अस्थाई फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ सलंग्न रहे। सुनाया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/106/2022

वउनवान

1. विजयसिंह पुत्र छाज्या जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर
2. सुरेशचन्द पुत्र छाज्या जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र सेढाराम जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर जिला अलवर ।
3. फूलसिंह पुत्र सेढाराम जाति मीना निवासी भनोखर तहसील ।कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री रामजीलाल शर्मा – अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से

आदेश

दिनांक 01.07.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1452 रकवा 0.18 हे. ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान व तरतीवी प्रतिवादनी के 1/2–1/2

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर सायलान व तरतीवी प्रतिवादनी बहिस्सा बरबर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर काविज है। उक्त आराजी कृषि योग्य भूमि है गैरसायलान का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। लेकिन गैरसायलान जबर्दस्त व लठेत व्यक्ति है जो जवरन व लटठ के वल पर विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा सायलान व तरतीवी प्रतिवादनी को उक्त आराजी पर फसल बोने काटने समेटने व कुल काश्त सम्बन्धी कार्य करने में बाधा पैदा करते है तथा विवादित आराजी में में कच्चा पक्का निर्माण करने व रास्ता/सडक कायम करना चाहते है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है।जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताविक प्रार्थना गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि गैरसायलान विवादित आराजी में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं कर रहे है और ना विवादित आराजी पर कच्चा पक्का निर्माण कर रहे है और ना रास्ता कायम कर रहे है। प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1452 व अप्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1446 के मध्य हमेशा से यानि चिरकाल से 12 फुट का आम रास्ता कायम एंव जारी रहा है तथा आज

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

भी मौके पर कायम एंव जारी है। जिस रास्ता से प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान अपने अपने खेतों को आते जाते है। अप्रार्थीयान ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 1446 में पक्का मकान बना रखा है। जिसमें अप्रार्थीयान इसी रास्ता से आवागमन करते है। प्रार्थीयान एंव अप्रार्थीयान के अलावा इस रास्ता से अन्य ग्रामवासी अपनी खातेदारी की आराजी व अपने अपने मकानो को आते जाते है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थीयान, अप्रार्थीयान व अन्य ग्रामवासियान को अपनी खातेदारी की आराजी व मकानों पर आने जाने का और कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीयान मौके पर कायम 12 फुट रास्ता की जमीन को अपनी खातेदारी की आराजी में मिलाकर रास्ता की जमीन पर कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीयान को इस रास्ता से आवागमन के सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीयान को इस रास्ता को बन्द करने का अधिकार नहीं है। चिरकाल से कायम उक्त रास्ता को यदि प्रार्थीयान ने बन्द कर दिया तो अप्रार्थीयान अपने मकान को आ जा नहीं सकेगें। रास्ता रूकने से अप्रार्थीयन को काफी नुकशान होगा। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जावे।

सायलानने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम भनोखर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान व तरतीवी प्रतिवादनी की कब्जे का त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है जिससे गैरसायलान का किसी तरह का बास्ता नहीं है लेकिन गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल व तरतीवी प्रतिवादनी के भामलात में का त में बाधा पैदा करते है जमीन को दवाकर कच्चा पक्का निर्माण करना चाहते हैरास्ता कायम करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

है यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी से ना तो गैरसायलान सायलान को वेदखल करना चाहते ना इसमें होकर रास्ता कायम करना चाहते ना निर्माण कर रास्ता वन्द करना चाहते। सायलान मौके पर कायम एंव जारी रास्ता को अवरूद्व करना चाहते है तथा अप्रार्थीयान के मकान को आने जाने वाले रास्ता मे अवरोध पैदा करने की कोशिश में है। यदि सायलान ने मौके पर कायम एंव जारी रास्ता को अपनी खातेदारी की आराजी में मिलाकर कच्चा पक्कानिर्माण कर लिया तो अप्रार्थीयान के मकानो का व खेतों को जाने वाला रास्ता रूक जावेगा। जिससे सायलान को काफी नुकशान व क्षति होगी। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र तथ्यों को छुपाकर अदालत श्रीमान में पेश किया है। जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी हाल व जवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम भनोखर पेश की है। जिसमें विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा सायलान की व 1/2 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादनी विमला की खातेदारी में दर्ज है। मौके पर कोई रास्ता हो इस तरह का गैरसायलान ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। सायलान व तरतीवी प्रतिवादनी की खातेदारी की आराजी में गैरसायलान को बाधा डालने उस पर कच्चा पक्का निर्माण करने अथवा रास्ता कायम करने का हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान ने सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विवादित आराजी पर कच्चा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पक्का निर्माण कर लियातो अपार हानि व असुविधा सायलान को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति अथवा असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1452 रकवा 0.18 हे. वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखलना करे तथा उक्त आराजी के किसी भी हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण ना करें सडक/रास्ता कायम ना करें।उक्त आराजी में सायलान को निर्माण करने से ना रोके। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 01.07.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)